न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–पवनकुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः–10/2020

1. सौरभ कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति ब्राह्माण(पुरोहित)निवासी चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझनु(राजस्थान) जरिये मुख्तयारआम– अनिल कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति विश्नोई निवासी 23 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– प्रार्थीगण

बनाम्

1. कैलाशकंवर पत्नी सम्पत सिंह जाति राजपूत निवासी 24 एपीडी ए सरकारी स्कूल के नजदीक तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज)
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र सम्पत सिंह जाति राजपूत निवासी 24 एपीडी ए सरकारी स्कूल के नजदीक तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज)
3. विक्रम सिंह पुत्र सवाई सिंह राजपूत निवासी 24 एपीडी ए सरकारी स्कूल के नजदीक तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज)
4. रामप्यारी पत्नी बनवारीलाल जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं.–22(नया 32) अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़
5. नक्षत्र सिंह पुत्र मंगलसिंह जाति जटसिख निवासी 69 जी.बी. तहसील अनूपगढ. जिला श्री गंगानगर
6. कलावती देवी पत्नी प्रभुराम पुत्री रेशमी देवी जाति नायक निवासी वार्ड नं.–25 अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
7. प्रदीप कुमार पुत्र गोपीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं.–15 अनूपगढ़ तहसील जिला श्री गंगानगर।
8. सुशील कुमार पुत्र गोपीराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं.–15 अनूपगढ़ तहसील जिला श्री गंगानगर।
9. ध्रुव यादव पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति यादव निवासी वार्ड नं.–29 नागपाल कॉलोनी, गली नं.–2 इलाहाबाद बैंक एवं एस.डी. बिहाणी स्कूल के पास, श्री गंगानगर तहसील व जिला श्री गंगानगर।
10. रोशनी देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति विश्नोई निवासी 23 एपीडी तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर।
11. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व एवं भू अभिलेख) अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राजस्थान)

–––––अप्रार्थीगण

वाद अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक –23.03.2021

::निर्णय::

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 24 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–12 पत्थर नम्बर 290/414 के किला नं.–1ता25 की कुल 6.325 हैक्टेयर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से 3952/6325 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज कागजात सरकार है जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड टीनेन्ट खातेदार है। उक्त कृषि भूमि की सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी सम्वत 2073–2076 संलग्न है। प्रतिवादी सं.–10 रोशनी देवी पत्नी पृथ्वीराज

का उसकी कृषि भूमि चक 23 एपीडी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–16, पत्थर सं.–290/409 के किला नं.–11 में ट्यूबवैल लगा हुआ है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को सिंचाई करता है लेकिन अप्रार्थीगण सं.–1ता3 उक्त ट्यूबवैल से सिंचाई करने मे एतराज करते है तथा सिंचाई में बाधा उत्पन्न करते है जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि में ट्यूबवैल से सिंचाई करने अत्यधिक परेशानी आ रही है। किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए प्रार्थी ने उक्त ट्यूबवैल से अपनी कृषि भूमि तक भूमिगत लाईन डालनी आरंभ कर दी। प्रार्थी ने चक 23 एपीडी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–16 पत्थर संख्या–290/409 के किला नं.–11,20,21, व 24 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–4 पत्थर नं.–290/410 के किला नं.–1,10,11,20,21 में एवं चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–7 पत्थर नं.–290/411 के किला नं.–1,10 मे मौका पर भूमिगत पाईपलाईन अपने खर्चे पर डाल ली है लेकिन उससे आगे अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को भूमि पाईप लाईन डालने में एतराज किया और भूमिगत पाईप लाईन डालने से रोक दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि माननीय न्यायालय से प्रार्थी स्वीकृति प्राप्त कर शेष रही पाईप लाईन भूमिगत डाल लेवें। प्रार्थी उक्त वर्णित ट्यूबवैल से अपनी भूमि सिंचाई हेतु शेष रही भूमिगत पाईपलाईन चक 24 एपीडी का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–290/411 के किला नं.–11, 20, 21/2 एवं चक 24 एपीडी क मुरब्बा नं.–09 भूमि पत्थर सं.–291/412 के किला नं.–5/1 6/1, 15/1, 16/1, 25/1 एव चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–10 पत्थर सं.–291/413 के किला नं. –5/2, 6/1, 15/1, 16/1, 25/3 मे डालना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को वांछित भूमिगत पाईप लाईन डालने से रोक दिया। उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थी पाईप लाईन डालना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी को पाईप लाईन डालने नहीं दे रहे है। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करें। प्रार्थी अपने खर्चे पर स्वीकृतशुदा पाईपलाईन सतह से 3 फुट नीचे डालेगा एवं अप्रार्थीगण को भूमि समतल करके देगा तथा प्रार्थी माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित प्रतिकर/राशि भी अप्रार्थीगण को संदाय करने हेतु तैयार है। प्रार्थी ने अर्सा करीब तीन रोज पूर्व अप्रार्थीगण से सम्पर्क कर वांछित पाईपलाईन स्वीकृत करवाने व डालने मे सहमति सहयोग देने हेतु कहा तो वह ऐसा करने स्पष्ट इंकार हो गये। बस यही बिनाय मुखास्मत प्रार्थना पत्र है।

प्रकरण दर्ज रजि.कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री रमेश सारस्वत एवं अप्रार्थी सं.–3 की तरफ से श्री गुरतेजसिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं.–1 एवं 3 के द्वारा जवाब पेश नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी सं.–2 ने जवाब पेश कर नि[illegible] कि अप्रार्थीया सं.–10 रोशनीदेवी पत्नी पृथ्वीराज का उसकी कृषि भूमि का चक 23 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–16 पत्थर सं.–290/409 का किला नं.–11 में ट्यूबवेल लगा हुआ है जिसमे से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को सिंचित करता है। प्रार्थी ने यह तथ्य गलत दर्ज किया है कि अप्रार्थीगण सं.–1ता3 ने कभी भी ऐतराज नही किया व ना ही सिंचाई सुविधा में बाधा उत्पन्न कर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नही की। प्रार्थी सौरभ कुमार की जमीन रोशनीदेवी की कृषि भूमि से पांच मुरब्बा दुरी पर है जहाँ पाईप लाईन सौरभ लेकर जाना चाहता है सौरभ कुमार रोशनीदेवी से पानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested

खरीद कर अपने खेत में ले जाना चाहता है। सौरभ कुमार ने मुरब्बा नं.–290/411 की 2 बीघा जो कि मलकीत सिंह की है में पाईप लाईन डाल दी है मुरब्बा नं.–290/411 में भी नाजायज नक्का लगा रखा है। नाजायज पाईप लाईन लगाने से मना किया तथा मौका पर अप्रार्थीगण सं.–1ता3 ने कणक बिजाई कर रखी है अगर वहाँ पाईप डालता है तो अप्रार्थी को फसल का नुकसान होगा। अप्रार्थी विक्रमसिंह का कमरा बना हुआ है सौरभ कुमार के स्वयं की कृषि भूमि मुरब्बा नं.–12 पत्थर सं.–290/414 के टयुबवैल लगा हुआ है व नहर का पानी भी बंधा हुआ है जिससे सौरभ कुमार अपनी कृषि भूमि में सिंचाई कर रहा है। सौरभ को भूमिगत पाईप लाईन की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी एवं रोशनी देवी की आपस मे मिलीभगती है तथा रोशनी पाईप लाईन में नाजायज नक्के बनाकर पानी बेचना चाहती है।

अप्रार्थी सं.–4,5,6,7,8,10 की तरफ से अधिवक्ता श्री शिशपालसिंह ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अगर प्रार्थी हमारी भूमि में से पाईप लाईन डालता है तो हम कोई ऐतराज नहीं है एवं इसकी ऐवज में प्रार्थी से कोई प्रतिकर नहीं लेना चाहते है। अपनी कृषि भूमि में से प्रार्थी को पाईपलाईन डालने देने हेतु सहमत है।

अप्रार्थी सं.–9 ने इकबाल प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अगर प्रार्थी को वांछित जगह मे पाईप लाईन डालने की अनुमति दी जाती है तो मुझे उज्र वा एतराज नहीं है पाईप लाईन डालने की ऐवज में किसी प्रतिकर नहीं लेना चाहता है।

प्रार्थी नें उपस्थित होकर अपने कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से वाके चक 24 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–12 पत्थर नम्बर 290/414 के किला नं.–1ता25 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से 3952/6325 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज कागजात सरकार है जिसका प्रार्थी रिकॉर्डेड टीनेन्ट खातेदार है। प्रतिवादी सं.–10 रोशनी देवी पत्नी पृथ्वीराज का उसकी कृषि भूमि चक 23 एपीडी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–16, पत्थर सं.–290/409 के किला नं.–11 में टयूबवैल लगा हुआ है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि को सिंचाई करता है प्रार्थी ने उक्त टयूबवैल से अपनी कृषि भूमि तक भूमिगत लाईन डालनी आरंभ कर दी। प्रार्थी ने चक 23 एपीडी तहसील अनूपगढ मुरब्बा नं.–16 पत्थर संख्या–290/409 के किला नं.–11,20,21, व 24 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–4 पत्थर नं.–290/410 के किला नं.–1,10,11,20,21 में एवं चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–7 पत्थर नं.–290/411 के किला नं.–1,10 मे मौका पर भूमिगत पाईपलाईन अपने खर्चे पर डाल ली है कृषि भूमि सिंचाई हेतु शेष रही भूमिगत पाईपलाईन चक 24 एपीडी का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–290/411 के किला नं.–11,20,21/2 [illegible] एपीडी क मुरब्बा नं.–09 भूमि पत्थर सं.–291/412 के किला नं.–5/[illegible] एपीडी के मुरब्बा नं.–10 पत्थर सं.–291/413 के किला [illegible]/1,25/3 मे डालना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को वांछित भूमिगत पाईप [illegible] डालने से रोक दिया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा हेतु भूमि गत पाईपलाईन बिछाने की अनुमति प्रदान की जावे।

पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट प्रार्थी चक 23 एपीडी के मुरब्बा नं.–16 किला नं.–11 मे रोशनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested

देवी पत्नी पृथ्वीराज साकिन–23 एपीडी के ट्यूबवैल से पाईप डालकर चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–12 के किला नं.–1 पर पाईप ले जाना चाहता है। प्रार्थी सिंचाई के उद्देश्य से पाईप डालना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चक 23 एपीडी के मुरब्बा नं.–16 के किला नं.– 11,20,21 व चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–4 के किला नं.–1,10,11,20,21 व मुरब्बा नं.–7के किला नं.–1,10 में पाईप लाईन डाल रखी है। परन्तु चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–7 के किला नं.–11,20,21 के काश्तकारान ने पाईप लाईन डालने का एतराज कर अवरोध स्वरूप लगभग 8 गुणा 8 फीट का खण्डरनुमा मकान बना कर किला नं.–11 में पाईप लाईन रोक दी है। इसके बाद के चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं. –9 के किला नं.–5,6,15,16,25 व मुरब्बा नं.–10 के किला नं.–5,6,15,16,25 के काश्तकारान ने पाईप लाईन डालने मे सहमति जताई है। तथा बातचीत करने पर अवगत करवाया कि हमने लिखित मे सहमति प्रस्तुत कर दी है। प्रार्थी द्वारा सिंचाई की उत्तम सुविधा के लिए पाईप लाईन डालनी चाही है इससे किसान की फसलों को उचित सिंचाई सुविधा हो सकेगी जिससे किसान की फसलों की पैदावार में ईजाफा होगा एवं पाईप लाईन डालने से किसी को कोई हानि नहीं है। इस प्रस्तावित भूमि की अलावा अन्य कोई निकटतम उचित विकल्प नही है। चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–7 के किला नं.–11 में 8 गुणा 8 मकान के पूर्व दिशा में से होते हुए किला नं. –11,20,21 में भूमिगत पाईप डाली जाती है तो अप्रार्थी एवं एतराज करने वाले कृषक को कोई आर्थिक हानि नहीं होगी।

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि चक वाके चक 24 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–12 पत्थर नम्बर 290/414 के किला नं.–1ता25 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में से 3952/6325 हिस्सा कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से दर्ज कृषि भूमि में हो रही असुविधा को मध्यनजर रखते हुए उक्त रकबा की बेहतर सिंचाई सुविधा के लिया अप्रार्थी सं.–10 रोशनी देवी पत्नी पृथ्वीराज की कृषि भूमि चक 23 एपीडी तहसील अनूपगढ़ मुरब्बा नं.–16, पत्थर सं.–290/409 के किला नं.–11 में ट्यूबवैल से भूमिगत पाईपलाईन डालकर सिंचाई सुविधा हेतु अनुमति चाही है। प्रस्तावित भूमि की अलावा अन्य कोई निकटतम उचित विकल्प नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियो के तहत प्रार्थी क[illegible] अप्रार्थी सं.–10 रोशनी देवी पत्नी पृथ्वीराज की कृषि भूमि चक 23 एपीडी तहस[illegible] अनू[illegible] मुरब्बा नं.–16, पत्थर सं.–290/409 के किला नं.–11 में स्थापित ट[illegible]ण की कृषि भूमि क्रमशः चक मुरब्बा नं.–16 पत्थर संख्या–290/409 के किला नं.–11,20,21, व 24 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–4 पत्थर नं.–290/410 के किला नं.–1,10,11,20,21 में एवं चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–7 पत्थर नं.–290/411 के किला नं.–1,10 मे पूर्व मे डाली गई पाईप लाईन एवं चक 24 एपीडी का मुरब्बा नं.–7 पत्थर सं.–290/411 के किला नं.–11,20, 21/2 एवं चक 24 एपीडी क मुरब्बा नं.–10 भूमि पत्थर सं.–291/412 के किला नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested

–5/1,6/1,15/1,16/1, 25/1 एव चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–10 पत्थर सं.–291/413 के किला नं.–5/2, 6/1,15/1,16/1, 25/3 मे भूमि के अन्दर तीन फीट गहरी पाईपलाईन डालकर सिंचाई करने हेतु प्रार्थी अपनी कृषि भूमि चक 24 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. –12 पत्थर नम्बर 290/414 के किला नं.–1ता25 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि मे 1.5 फुट चौड़ाई की खाली खोदकर उक्त खाली में भूमिगत तीन फीट गहरी पाईपलाईन डालकर सिंचाई करने की अनुमति निम्न शर्तो पर प्रदान की जाती है–

शर्ते–

1. पाईप लाईन डालते समय आवागमन मे किसी प्रकार भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
2. मशीन द्वारा 3–3 फुट गहरा खड्डा खोदकर उसमें भूमिगत पाईप लाईन डालकर व गड्डों को मिट्टी द्वारा भरकर पुनः उसी स्थिति मे समतल किया जावे, ताकि सम्बन्धित काश्तकार को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही हो।
3. प्रार्थी पाईपलाईन डालने हेतु तीन फुट गहरी खुदाई को स्वयं के खर्चे पर भराई करके भूमि समतल करेगा।
4. अप्रार्थी सं.–4,5,6,7,8,9,10 अपने जवाब/इकबाल दावा में अपनी कृषि भूमि मे पाईप लाईन डालने की की ऐवज में प्रार्थी से प्रतिकर नहीं लेने की सहमति प्रदान करने के कारण उक्त अप्रार्थीगण को पाईप लाईन डालने की ऐवज में प्रतिकर देय नहीं करना है।
5. अप्रार्थी सं.–1ता3 की कृषि भूमि वाके चक 24 एपीडी के मुरब्बा नं.–07 पत्थर सं.–290/411 के किला नं.–11,20,21 में पाईप लाईन डालने की ऐवज में प्रतिकर संदाय (राजस्व लेखाकार द्वारा) कर राज.काश्त.(सरकारी) नियम, 1955 की धारा 70 की उपधारा–1 के अधीन संदेय प्रतिकर (मुआवजे) की राशि राज.स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उपनियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित की गयी दरों (डी.एल.सी.दर) के **दस प्रतिशत** राशि तहसील कार्यालय, अनूपगढ़ में जमा करवाने के आदेश प्रार्थी को दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित है।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सुरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.13 18:14:51 IST
Reason: SelfAttested

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़